रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938
No. 18] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2017

सा.का.नि.18(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ट) के साथ पठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खादी चिह्न विनियम, 2013 को संशोधित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

(1) इन विनियमों को खादी चिह्न (संशोधन) विनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खादी चिह्न विनियम, 2013 में, फॉर्म-I में, उपाबंध 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उपाबंध 5

स्वघोषणा के लिए फॉर्मेट

हाथ से बुना, हाथ से काता, खादी वस्त्र पर खादी चिह्न लेबल तथा टैग लगाने के लिए शपथ पत्र

(राज्य स्टॉम्प अधिनियम के अनुसार मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर दिया जाने वाला शपथ पत्र)

दिनांकः----------

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय खादी चिह्न समिति,
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
ग्रामोद्योग, इर्ला रोड, विले पार्ले (प.)
मुम्बई-400056

महोदय,

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता/करते/वचन देता हूँ/देते हैं कि (अधिनियम/विधान का नाम जिसके अंतर्गत संस्था पंजीकृत है) के अंतर्गत पंजीकृत (संस्था का नाम) खादी और खादी उत्पादों का उत्पादन/व्यापार/बिक्री कर रहा हूँ/रहे हैं तथा हमें संहिता के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है और हमारे पास आयोग द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र है।

मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि

हमारी संस्था असली खादी वस्त्र तथा उत्पाद अर्थात् हाथ से काता, हाथ से बुना तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम में यथा परिभाषित प्राकृतिक रेशे का उत्पादन/व्यापार/बिक्री (जो भी लागू हो) करती है।

हमारी संस्था प्रमाणित खादी संस्था या खादी और ग्रामोद्योग आयोग से अनन्य रूप से प्राप्त खादी उत्पादों का व्यापार/बिक्री करने का विचार करती है तथा खादी संस्था ने इन विनियमों के अंतर्गत जारी ''खादी चिह्न'' प्राप्त कर लिया है।

खादी चिह्न विनियम 2013, 2 अक्टूबर, 2013 से लागू हुआ है तथा अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति या संस्था खादी या खादी उत्पादों की किसी रूप में या तरीके से खादी चिह्न प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना बिक्री या अन्य प्रकार से व्यापार नहीं करेगी।

उसी प्रकार किसी सूती वस्त्र की बिक्री या व्यापार खादी चिह्न लगाए बिना किसी रूप में या तरीके से अन्य प्रकार से नहीं किया जाएगा।

इन खादी चिह्न लेबलों तथा टैगों का प्रयोग असली सूती, ऊनी, रेशमी या इन खादी वस्त्रों यानि हाथ से काते, हाथ से बने मिश्रण में ही किया जाएगा।

मैं/हम विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट असली खादी वस्त्र पर ही खादी चिह्न लेबलों तथा टैगों के प्रयोग के लिए अकेले जिम्मेवार हूँगा/होंगे तथा इसका कोई उल्लंघन होने पर मेरे/हमारे विरूद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सही है और इसका सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके उल्लंघन होने पर मैं/हम अकेले जिम्मेवार हूँगा/होंगे जो मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक हो सकती है।

अध्यक्ष/सभापति	सचिव	कोषाध्यक्ष''
(मोहर सहित)	(मोहर सहित)	(मोहर सहित)

[फा. सं. पी-10/8/2016-स्फूर्ति]

बी.एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणीः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में दिनांक 19 जुलाई, 2013 की सं. सा.का.नि. 498(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2017

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 read with clause (k) of sub-section (2) of Section 15 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Khadi and Village Industries Commission, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Khadi Mark Regulations, 2013, namely:—

(1) These regulations may be called the Khadi Mark (Amendment) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Khadi Mark Regulations, 2013, in Form I, for Annexure 5, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"Annexure 5

Format for Self Declaration

Affidavit for using Khadi Mark Labels and tags on hand-woven, hand-spun, Khadi vastra

(Affidavit to be affixed on Stamp Paper of the value as per State Stamp Act)

Date:

To

The Chairman

Central Khadi Mark Committee

Khadi and Village Industries Commission

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Gramodaya, Irla Road, Vile Parle (W)

Mumbai-400056.

Dear Sir,

I/We hereby confirm/undertake that _____ (Name of the institution) registered under _____ (Name of Act/legislation under which the institution is registered) intends to produce / trade / sell / (whichever is applicable) in Khadi and Khadi products and we have been certified by the Khadi and Village Industries Commission under a Code and possess a valid Khadi Certificate issued by the Commission.

I/We confirm that

Our Institution produce / trade / sell (whichever is applicable) a genuine khadi vastra and products i.e. hand spun, hand woven and of natural fibre as defined in the KVIC Act.

Our Institution intends to trade / sell khadi products exclusively procured from Certified Khadi Institution or KVIC & the khadi institution should have obtained "khadi mark" issued under these regulations.

Khadi Mark Regulation 2013 has come into force from 2nd October 2013 and under the act, no person or institution shall sell or otherwise trade in Khadi or Khadi products in any form or manner without obtaining a Khadi Mark Certificate.

Similarly, no textiles shall be sold or traded otherwise as Khadi in any form or manner without it bearing a Khadi Mark.

These Khadi Mark labels and tags will only be used on genuine cotton, wool, silk or mixture of these khadi vastra i.e. hand-spun, hand-woven.

I/We will be solely responsible for the usage of Khadi Mark labels and tags only on genuine Khadi vastra as specified under the Regulations and any violation of the same can draw appropriate legal actions against us/me.

I/We declare that the information given above is true and will be adhered to strictly and I/We will be solely responsible for any violation of the same that may entail legal action against me/us.

Chairman/President	Secretary	Treasurer"
(with seal)	(with seal)	(with seal)

[F. No. P-10/8/2016-SFURTI]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 498(E), dated the 19th July, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.01.12 14:56:34 +05'30'